

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)


क्रमांक: एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./स्था.पद./2015/ 163 जयपुर, दिनांक: 14/01/2016

आदेश

श्री रामराय चौधरी, प्रगति प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) से पंचायत समिति राजखेडा (धौलपुर) स्थानान्तरणाधीन की सेवायें इनकी पैतृक संस्था राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को वापिस लौटाई जाती है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(राजेन्द्र शेखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर / धौलपुर।
5. विकास अधिकारी, पं.स. बस्सी (जयपुर) / राजाखेडा (धौलपुर)।
6. श्री रामराय चौधरी, प्रगति प्रसार अधिकारी, पं.स. बस्सी, जिला जयपुर को पालनार्थ।
7. ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
8. आदेश पत्रावली

  
अतिरिक्त आयुक्त